

उत्तराखण्ड शासन  
पंचायती राज अनुभाग-1

संख्या /XII/2013/90(01)/2003

देहरादून: दिनांक: ४ जनवरी, 2013

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश जिला पंचायत केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग (यथा संशोधित) नियमावली-1995 के नियम-21 एवं उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली, 1991 के नियम-8 के अधीन जिला पंचायतों में नियमित रूप से नियुक्त कर अधिकारियों की शासनादेश संख्या- 1099/दिनांक 12 नवंबर, 2012 के द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित करते हुए आपत्तियां आमंत्रित की गयी थी।

इस संबंध में प्राप्त अनापत्तियों के आधार पर तथा उत्तर प्रदेश जिला पंचायत केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग (यथा संशोधित) नियमावली-1995 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कर अधिकारी के पद की अंतिम ज्येष्ठता सूची निम्न प्रकार प्रख्यापित की जाती है :-

क्र० सं०	कर अधिकारी का नाम	गृह जनपद	जन्म तिथि	मौलिक नियुक्ति की तिथि	भर्ती का स्रोत	स्थाईकरण की तिथि	श्रेणी
1	श्री अरुण चन्द्र बड़थवाल	पौड़ी गढ़वाल	25.10.1961	26.06.2007	पदोन्नति	07.07.2011	सामान्य
2	श्री कबूल चन्द	देहरादून	15.07.1961	26.06.2007	पदोन्नति	07.07.2011	अनुसूचित जाति

उक्त ज्येष्ठता सूची राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत उ०प्र० एवं उत्तराखण्ड राज्य के बीच कार्मिकों के अंतिम आवंटन के फलस्वरूप किन्हीं कार्मिकों के द्वारा उत्तराखण्ड में योगदान देने के फलस्वरूप ज्येष्ठता सूची को यथा समय आवश्यकतानुसार परिवर्तित/परिवर्धित/परिमार्जित किया जायेगा।

(सी०एस०नपलच्याल)  
अपर सचिव।

संख्या 6243/XII/2013/90(01)/2003 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक पंचायतीराज निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
- 3- संयुक्त निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोषक, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी/देहरादून।
- 5- अपर मुख्य अधिकारी पौड़ी/देहरादून एवं कर अधिकारी पौड़ी/देहरादून।
- 6- गार्ड फाईल।

र.सु.०/१०/१०६

संयुक्त निदेशक  
11/01/2013

अज्ञा से  
Meenu  
(जे०एल०शर्मा)  
अनु सचिव।